गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

प्रलिमि्स के लयि:

खाद्य सुरक्षा, आवश्यक वस्तु अधनियिम (ECA), 1955, IMD, मुद्रास्फीति, PDS,OMSS

मेन्स के लयि:

गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनकि वतिरण मंत्रालय** ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी एवं बेबुनयिाद अनुमान लगाने की प्रथा को रोकने के लयि **व्यापारयिों, थोक वकि्रेताओं, खुदरा वकि्रेताओं, वृहत शृंखला वाले खुदरा वकि्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूँ के स्टॉक/भंडारण** पर सीमाएँ नरि्धारति की हैं।

- मंत्रालय ने इन्ही कारणों से **आवश्यक वस्तु अधनियिम (ECA), 1955** को लागू करके **तूर और उड़द** दाल पर भी भंडारण सीमा लगा दी है।

सीमा नरि्धारण का कारण:

- **गेहूँ उत्पादन से संबंधति चतिाएँ:**
  - फरवरी 2023 में बेमौसम बारशि, ओलावृष्टि और उच्च तापमान के कारण **कुल गेहूँ उत्पादन को लेकर स्वाभावकि चतिा जताई गई**।
    - कम उत्पादन से कीमतें बढ़ती हैं, **जो सरकार की खरीद कीमतों से अधकि हो सकती हैं** तथा आपूर्ति स्थरिता को प्रभावति कर सकती हैं।
  - शुरुआती अनुमान की तुलना में **गेहूँ खरीद में संभावति 20% की कमी के संकेत** हैं।
    - ओलावृष्टि के कारण **मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूँ की फसल को नुकसान होने का अनुमान है।
  - भारतीय मौसम वज्ञिान वभिाग ने **प्रजनन वृद्धि अवधि के दौरान उच्च तापमान के कारण गेहूँ की फसलों पर प्रतकिूल प्रभाव** की चेतावनी दी थी।
- **तूर एवं उड़द के लयि ECA 1955 लागू करना:**
  - कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के **प्रमुख तूर उत्पादक राज्यों के कुछ हस्सिों में अत्यधकि वर्षा और जल जमाव की स्थति** के कारण वर्ष 2021 की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगति के बीच **जुलाई 2022 के मध्य से** तूर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
  - कसिी भी अवांछति मूल्य वृद्धि को नयिंत्रति करने के लयि **सरकार घरेलू एवं वदिेशी बाज़ारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नयिंत्रति कीमतों को सुनश्चिति करने हेतु पूर्व-नरि्धारति कदम** उठा रही है।

गेहूँ की स्टॉक सीमा के संबंध में शासनादेश:

- **कीमतों को स्थरि करने के लयि स्टॉक सीमा का अधरिोपण:**
  - **व्यापारयिों/थोक वकि्रेताओं के लयि अनुमत स्टॉक सीमा 3,000 मीट्रकि टन** नरि्धारति है, इसके साथ ही खुदरा वकि्रेताओं के लयि प्रत्येक बकि्री केंद्र पर 10 मीट्रकि टन होने के साथ बड़ी शृंखला के खुदरा वकि्रेताओं के लयि सभी डपिो (संयुक्त) पर 3,000 मीट्रकि टन तक नरि्धारति की गई है।
  - प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी **वार्षकि स्थापति क्षमता का 75% तक स्टॉक करने की अनुमति** है।
  - खाद्य और सार्वजनकि वतिरण वभिाग के पोर्टल पर संस्थाओं को नयिमति रूप से अपने स्टॉक की स्थति घोषति करने की आवश्यकता होती है।
  - सीमा से अधकि स्टॉक होने की स्थति में नरि्धारति सीमा के अंतर्गत लाने के लयि **अधसिूचना जारी करने की समय-सीमा 30 दनि है**।
- **OMSS के माध्यम से गेहूँ की बकि्री:**

- सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के माध्यम से 15 लाख टन गेहूँ बेचने का निर्णय लिया है।
- गेहूँ मिलों, निजी व्यापारियों, थोक खरीदारों और गेहूँ उत्पादकों द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।
- **नीलामी 10 से 100 मीट्रिक टन के थोक मूल्य के लिये** आयोजित की जाएगी, जिसमें कीमतों और मांग के आधार पर अधिक-से अधिक नीलामी की संभावना होगी।
- कीमतों को कम करने के लिये **चावल की बिक्री हेतु** भी इसी तरह की योजना पर विचार किया जा रहा है।

शासनादेश का उद्देश्य:

- **कीमतों के स्थिरीकरण हेतु:**
  - प्राथमिक उद्देश्य बाज़ार में गेहूँ की कीमतों को स्थिर करना है। गेहूँ आपूर्ति शृंखला में शामिल विभिन्न संस्थाओं पर स्टॉक सीमा लागू कर **सरकार का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाज़ी को रोकना** तथा गेहूँ की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और **कीमतों को स्थिर** करना है।
- **वहनीयता:**
  - सरकार का इरादा कीमतों को स्थिर करके **उपभोक्ताओं हेतु गेहूँ को और अधिक किफायती बनाना है।**
  - OMSS द्वारा केंद्र के माध्यम से गेहूँ के वितरण से **खुदरा मूल्यों पर नियंत्रण बनाए रखने से गेहूँ आम लोगों हेतु सस्ता होगा।**
- **आपूर्ति की कमी को रोकना तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना:**
  - स्टॉक सीमा की निगरानी और प्रबंधन के साथ ही सरकार का **उद्देश्य मांग को पूरा करने के लिये गेहूँ की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित** कर बिक्री से संबंधित कमियों को दूर करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों को गेहूँ उपलब्ध कराना है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:

- **पृष्ठभूमि:**
  - ECA अधिनियम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था **जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण** खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
  - तत्कालीन भारत अपनी खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिये आयात और सहायता (जैसे PL-480 के तहत अमेरिका से गेहूँ का आयात) पर निर्भर था।
    - भारत ने वर्ष 1954 में अमेरिका के साथ सरकारी कृषि व्यापार विकास सहायता के तहत खाद्य सहायता प्राप्त करने के लिये एक **दीर्घकालिक सार्वजनिक कानून (PL) 480 समझौते** पर हस्ताक्षर किये।
  - **खाद्य पदार्थों की जमाखोरी** और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य ECA 1955 का उपयोग कर केंद्र द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार हेतु राज्य सरकारों को नियंत्रण प्रदान करना है ताकि मुद्रास्फीति **पर अंकुश** लगाया जा सके।
- **आवश्यक वस्तु:**
  - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। **धारा 2 (A) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु"** का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।
- **केंद्र की भूमिका:**
  - अधिनियम केंद्र सरकार को **अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।**
  - केंद्र यदि संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- **प्रभाव:**
  - किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है तथा स्टॉक सीमा लगा सकती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिये: (2013)

1. कपास
2. मूँगफली
3. चावल
4. गेहूँ

इनमें से कौन-सी खरीफ फसलें हैं?

(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. फसल प्रणाली में गेहूँ और चावल की उपज में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रणाली में फसलों की उपज को स्थिर करने हेतु फसल विविधीकरण किस प्रकार सहायक है? (2017)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ceiling-on-stocks-of-wheat-and-pulses